राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	9/2017. भींवाराम / नारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.10.17	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपि० उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो० द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र O 9 R 13 प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.11.17 को पेश हो।	
13/11/17	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नहीं जा सका। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 24.11.17 को पेश हो।	
24.11.17	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी हेतु प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि मूल अपील पत्रावली में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27/1/2017 को रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अभिभाषक अपीलार्थी की बहस सुनी जाकर आदेश हेतु दिनांक 13/2/17 नियत की गई। दिनांक 13/2/17 को समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका, अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/2/17 को नियत की गई। दिनांक 20/2/17 को पुनः समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जाकर दिनांक 27/2/17 आदेश हेतु नियत की गई। दिनांक 27/2/17 को प्रकरण मे निर्णय पारित किया गया, जिसके अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया गया। चूंकि न्यायालय द्वारा निर्णय इकतरफा मे पारित किया गया है, अतः रेस्पोडेन्टस की ओर से यह प्रार्थना पत्र इकतरफा कार्यवाही निरस्त की जाकर पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ है। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समाप्त की गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि वे दिनांक 27/1/17 को न्यायालय में उपस्थित हुये तब अपीलांटस के अधिवक्ता ने उन्हे बहस हेतु दिनांक 13/2/17 तब्दील होना जाहिर किया। दिनांक 13/2/17 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट किसी कारण वश	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भींवाराम / नारायण

तारीख हुक्म	9/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपस्थित नहीं हो सके किन्तु अपीलांट के अधिवक्ता श्री एन. एल. शर्मा से जानकारी ली, जिन्होंने दिनांक 03/3/2017 तारीख पेशी होना जाहिर किया, जब दिनांक 03/3/17 को अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट न्यायालय में उपस्थित हुये तो उस दिनांक की वाद सूची में प्रकरण अंकित नहीं मिला। प्रकरण की उस दिनांक को जानकारी चाहने पर भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी तब पुनः दिनांक 09/3/17 को जानकारी की तो जानकारी हुई कि प्रकरण दिनांक 27/2/17 को ही रेस्पोंडेन्टस की अनुपस्थिति दर्ज कर निर्णित कर दिया गया है। इस प्रकार अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट को मुगालते में रख कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध निर्णय पारित हुआ है, जिसे निरस्त किया जाकर पुनः बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।	

गया।

अभिभावक अप्रार्थी ने अपनी बहस में अभिभावक प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपो को स्पष्ट नकारा गया एवं निवेदन किया कि अभिभावक प्रार्थी / रेस्पोडेन्टस द्वारा तारीख पेशी के सम्बन्ध मे कभी सम्पर्क नही किया गया, वे स्वयं से ही न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण में उपस्थित नही हुये जबकि न्यायालय द्वारा दिनांक 27/1/17 को बहस सुनने के पश्चात भी निर्णय हेतु तीन तारीखे तब्दील की जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया है। अभिभावक अप्रार्थी ने बहस मे यह भी निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य अभिभावक से सम्बन्धित अंकित किये गये है, किन्तु न तो प्रार्थना पत्र पर अभिभावक के हस्ताक्षर है एवं न ही अभिभावक द्वारा अपने तथ्यो की पुष्टी हेतु कोई स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस अभिभावक पक्षकारान पर गौर किया एवं प्रार्थना पत्र व मूल अपील पत्रावली का अवलोकन किया। मूल अपील की आर्डरशीटो के अवलोकन मे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 27/1/17 को अभिभावक रेस्पोडेन्ट के अनुपस्थित रहने से अभिभावक अपीलार्थी की इकतरफा बहस सुनी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भींवाराम / नारायण 9 / 2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गई एवं आदेश हेतु दिनांक 13/2/17 नियत की गई। दिनांक 13/2/17 को समयाभाव के कारण निर्णय नही लिखाया जा सका, अतः दिनांक 20/2/17 तब्दील की गई। दिनांक 20/2/17 को भी समयाभाव के कारण निर्णय नही लिखाये जाने से निर्णय हेतु दिनांक 27/2/17 नियत की गई एवं दिनांक 27/2/17 को प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे मूल तथ्य अभिभाषक द्वारा अभिभाषक अपीलार्थी/अप्रार्थी से ही तारीख मालूम करते रहने का ही तथ्य अंकित किया है, जिसके समर्थन मे अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था जो नही किया गया है अन्यथा भी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को विशेष रूप से अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलान्ट से तारीख पेशी की जानकारी लेने के तथ्यो को नकारा गया है। इसके अतिरिक्त मूल अपील पत्रावली मे संलग्न अभिभाषण पत्र रेस्पोडेन्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट की ओर से सर्वश्री रामरतन मीना, नवल किशोर एवं दिनेश कुमार शर्मा तीन अधिवक्ता नियत थे किन्तु प्रार्थना पत्र मे यह कतई स्पष्ट नही किया गया है कि उनमें से किस अधिवक्ता की अधिवक्ता अप्रार्थी/अपीलान्ट से तारीख पेशी के सम्बन्ध मे वार्तालाप हुई, जिससे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एक बनावटी कहानी के रूप मे तैयार किया जाना प्रतीत होता है। रेस्पोडेन्टस एवं उनके अधिवक्ता मूल अपील की सुनवाई के सम्बन्ध मे उदासीन रहे है, जिसका लाभ उन्हे नही दिया जा सकता।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज की जाता है।

प्रार्थना पत्र कैसल शुमार होकर बाद तकमील मूल अपील पत्रावली के संलग्न हो। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)